International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.4 Mar – Apr 2023

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका एवं महत्त्व का मूल्यांकन : वर्तमान परिदृश्य में

राम नायक[1], डॉ ० विजय प्रताप मल्ल[2],
शोधार्थी ,
[1]डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश
[2]शोध-निर्देशक , प्रोफेसर,(राजनीति विज्ञान),
जवाहर लाल नेहरु स्मारक पी०जी०कॉलेज बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
Corresponding Author - **राम नायक**
Email: ramnayakverma@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7791005

शोध-सारांश-:

"भारत का भविष्य उसके गांव में निहित है"- महात्मा गांधी का यह कथन निश्चित रूप से आज प्रासंगिक है। भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 65% आबादी और 70% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान लगभग 46% है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य गांव का विकास करना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदार बनाना है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग- चार के अनुच्छेद- 40 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जिसमें राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। उक्त प्राविधानित व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत की संकल्पना की गई। भारत ने स्थानीय स्वशासन को लागू कर वैश्विक समुदाय के समक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो।

स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र या राज्य के लिए सुदूर स्थित गांव की समस्या का तत्काल हल निकालना कठिन होता है । स्थानीय समस्या का निदान वही के लोगों द्वारा सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। अतः स्थानीय स्वशासन की इकाई का गठन वहां के लोगों के कल्याण में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। विधान निर्माताओं ने भी इसके महत्व को समझा और इनके द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के अनुसार, "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो"। इस उद्देश्य से पंचायत को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) का गठन किया गया जिसके अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया, लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया। राजीव गांधी सरकार में 64वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। एल०एम० सिंघवी की सिफारिश पर इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया । संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से

संविधान में भाग-9 को जोड़ा गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद-243 से अनुच्छेद-243 (ण) तक 16 अनुच्छेद शामिल किए गए । साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 लागू किया गया। संविधान के भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद-243(ख) के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन किया गया है, परंतु 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है।

आजादी के 73 वर्ष बाद भी पंचायतों का विकास अभी भी उस स्तर पर नहीं हुआ है, जिस स्तर पर संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी । भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की है। आज के दौर में पंचायतों को वित्तीय अनुदान भी बहुत दिया जा रहा है, लेकिन उसका सही उपयोग ना हो पाने के कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। यदि गांव में योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो गांव का विकास निश्चित तौर पर होगा और भारत एक 'विश्व गुरु' बन सकता है। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार को दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा, तभी वहां का विकास सुनिश्चित हो पाएगा।

भूमिका एवं महत्त्व

रोजगार सृजन मे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका:-

पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस योजना के तहत कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा तैयार किया जाता है। जॉब कार्ड जारी करने की भी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को कार्य दिया जा रहा है वह वयस्क है या नहीं। आवेदकों के बीच रोजगार बांटने उन्हें मजदूरी भुगतान करने आदि की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम पंचायत के स्तर से आने वाली सभी परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृत देने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है। सरकार के द्वारा किसी आपदा के समय लोगों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन किया जाता है। अभी हाल ही में कोविड की वजह से लाखों मजदूरों का शहरों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर 'प्रति-पलायन' हुआ, जिससे वहां पर आये इन बेरोजगार श्रमिकों हेतु रोजगार तथा आजीविका सुनिश्चित कराने में ग्राम पंचायत की भूमिका और बढ़ गई।

महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका

73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण का प्रावधान करता है। वर्तमान में कई राज्यों के द्वारा स्थानीय स्वशासन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जैसे- बिहार राज्य में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जो मूल अधिनियम के प्रावधान से ज्यादा है। सरकार द्वारा किया गया प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। आज महिलाएं घर के चारदीवारी से निकलकर स्थानीय स्वशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है, इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। पंचायत स्तर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों को भी ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना के विकास में पंचायतों की भूमिका

पंचायतों के द्वारा ग्रामीण सड़कों, सार्वजनिक नालियों, पुलों का निर्माण व मरम्मत जैसे कार्यों को किया जाता है। पंचायतों के द्वारा सार्वजनिक सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा रखरखाव का कार्य संपन्न किया जाता है । पंचायत सार्वजनिक तालाबों एवं कुओं की व्यवस्था, उनकी स्वच्छता का प्रबंध, स्नान घाटों का प्रबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने में पंचायतों की भूमिका

ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को देश के सबसे पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन, 1992 पंचायत के हर स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है।

आरक्षित सीटों में से एक तिहाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है । स्थानीय स्वशासन पर नेतृत्व के अवसर की उपलब्धता ने इस वर्ग में आत्मविश्वास का संचार किया है तथा उनके सशक्तिकरण में सहायक रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो इस वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहायक है।

<u>जल प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका</u>

जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य में पंचायत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचायत पेयजल सुरक्षा योजना तैयार करने तथा इनका क्रियान्वयन करने में अपना योगदान करती है। पंचायत अपने अंतर्गत ग्रामों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करके परती और बंजर पड़ी हुई जमीन का विवरण तैयार करती है।

स्थानीय जनसमुदाय अपनी खेती-बाड़ी की गतिविधियों के साथ-साथ वर्षा जल संग्रहण करने के लिए बाँध निर्माण एवं विकास के लिए नालियों का प्रबंधन कर सकता है, ताकि भविष्य में उस एकत्रित जल का उपयोग किया जा सके। पंचायत स्थानीय लोगों में जागृति लाती है तथा उन्हें इस प्रकार के कार्यों में सहभागी होने की प्रेरणा भी देती है। पंचायत एक कार्यकारी संस्था की भूमिका में इस कार्य को बढ़ावा भी देती है। पंचायतें स्थानीय जन समुदाय को आवश्यकता के अनुरूप योजनाबद्ध रूप में जल संग्रहण तथा प्रबंधन और जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

<u>शिक्षा की अभिवृद्धि में पंचायतों की भूमिका</u>

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं निरक्षरता के उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (सर्व शिक्षा अभियान) के लक्ष्य की प्राप्ति में उनके द्वारा बड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है। प्राथमिक शिक्षा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों के बीच विभिन्न कौशल विकसित करता है, ताकि अपना विकास सुनिश्चित कर सकें।

इनके द्वारा ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा शिक्षा के विस्तार के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालय इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। पंचायती राज संस्थान शिक्षा मित्रों और अन्य समितियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है।

<u>पंचायतों का प्रशासनिक महत्त्व</u>

ग्राम पंचायतें जनगणना करने, रोजगार संबंधी आंकड़े तैयार करने, सरकारी सहायता को पंचायत क्षेत्र तक पहुंचाने जैसे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र की शिकायतों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने और ग्राम विकास योजनाओं पर विचार विनिमय करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, कृषि की उन्नति के लिए भी ग्राम पंचायत कार्य करती है।

<u>कृषि एवं वन्य संरक्षण में पंचायतों की भूमिका</u>

73वां संविधान संशोधन अधिनियम भूमि सुधार तथा इनके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना करता है। हालाँकि वर्तमान में भूमि सुधार के विषय पर पंचायतों को सीमित अधिकार दिया गया है। पंचायतों द्वारा कृषि एवं ग़ैर-कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजनाएं बनाई जाती है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान के उपरांत ग्रामीण सूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक वानिकी, लघु वन

उत्पाद, ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के स्रोतों का विकास, वन विकास कार्यक्रम, वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास जैसे कार्यों को संपन्न करती हैं।

सफाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका

पंचायतों द्वारा पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक गलियों, नालियों एवं तालाबों आदि की सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं उन्नति तथा चिकित्सा प्रबंधन इत्यादि कार्य संपन्न किए जाते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है।

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कुशलता से प्रदान की जा सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की कल्पना करता है।

पंचायतों का सांस्कृतिक महत्त्व

पंचायती राज संस्थानों द्वारा सामाजिक तथा नैतिक उत्थान के कार्य जैसे शराबबंदी, छुआछूत की समाप्ति, पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि संपन्न किए जाते हैं। इनके द्वारा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन, मनोरंजन आदि के लिए अखाड़ों की व्यवस्था भी की जाती है। गांव में संबंधित सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा का भी दायित्व पंचायतों का होता है।

कोविड-19 प्रबंधन एवं टीकाकरण में पंचायतों की भूमिका

कोविड-19 के प्रसार के पश्चात संपूर्ण देश में लॉक डाउन लग गया था, ताकि संक्रामक बीमारी के प्रसार की गति को धीमा कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। लॉकडाउन के पश्चात शहरों से गांव की ओर मजदूरों का प्रवासन भी देखा गया। शहर से गांव आए लोगों सहित सभी जरूरतमंद परिवारों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में राशन सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक पंचायत में क्वारंटाइन किए गए लोगों की पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की गयी।

केरल और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न राज्यों ने कोविड-19 आपातकालीन रणनीति में पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन को मूल रूप में रखा है। इस दौरान बिहार में पंचायत के स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मास्क सैनिटाइजर सहित जीवन रक्षा स्वच्छता किट वितरित किया गया । पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की गई। भारत में 3 मिलियन से अधिक स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा महामारी के प्रसार के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इनके द्वारा लोगों की इलाज के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने सामुदायिक रसोई के लिए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की व्यवस्था करने और गांव स्तर पर स्वच्छता और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई गई। यह निर्णय निर्माताओं और समुदाय के बीच सेतु के रूप में उभरे हैं।

निर्वाचित सदस्यों के अलावा पंचायत स्तर पर कोविड-19 के प्रबंधन में आशा कार्यकर्ता और महिला स्वयं सहायता समूह ने भी सराहनीय योगदान दिया है। विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह और सामुदायिक रसोई के माध्यम से क्वॉरैंटाइन में रह रहे लोगों के लिए भोजन बनाने की आवश्यकता की पूर्ति की गई।

ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए मास्क का उत्पादन भी किया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने महामारी से संबंधित कार्यों को लागू करने में सहायता की। देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में अविकसित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, संक्रमण नियंत्रण की क्षमता का आभाव, गरीबी के उच्च स्तर के कारण प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और लागू करने में विशेष कठिनाइयां आ रही थी। राज्य सरकारों द्वारा पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को भी चलाया गया। इससे बीमारी के प्रसार को रोकने सटीक जानकारी के प्रसार और जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिली। कोविड-19 का टीका विकसित हो जाने के बाद जनप्रतिनिधियों,

आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से इससे संबंधित दुष्प्रचार को दूर करने एवं जागरूकता का प्रसार करने का कार्य किया गया।

प्रारंभ में देश में टीका के मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम थी। इस कारण किसी दिन विशेष कैंप लगाकर टीका प्रदान किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर कैंप का आयोजन करने तथा इससे संबंधित सूचना का लोगो तक प्रसार करने में पंचायत एवं इससे संबंधित कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका थी । आज देश 100 करोड़ से अधिक टीका देने के रिकॉर्ड को दर्ज कर चुका है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने में स्थानीय स्वशासन की सराहनीय भूमिका है। पंचायतों के माध्यम से लोगों को सूचित करना कि टीका कहां लग रहा है, आज सफल है।

<u>पंचायती राज व्यवस्था की सीमायें</u>

<u>राजस्व के स्रोतों की कमी</u>

ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, परंतु इनके राजस्व के स्रोत सीमित हैं। पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय, पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस, नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए लिया जाने वाला कर आदि है। लेकिन इन राजस्व के स्रोतों की वसूली भी बहुत ही अनियमित है।

अतः पंचायतों को अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान अनुच्छेद 243(झ) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, राज्य सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान पर ही मुख्यतः आश्रित रहना पड़ता है।

वास्तव में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी, परंतु राज्य सरकारों ने अभी तक पंचायतों के वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए कम ही प्रयास किया है। जब तक पंचायतों को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान नहीं की जाती, तब तक वे सशक्त नहीं हो पाएंगे। **<u>ई-गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे</u>**

स्थानीय ग्रामीण व शासन के विभिन्न संस्थानों में ई-गवर्नेंस की सीमित पहुंच है। इसका मुख्य कारण संस्थागत एवं संरचनात्मक दोनों ही है। हमारे देश की अधिकांश निरक्षर एवं गरीब जनसंख्या गांव में रहती है। इन्हें सूचना और संचार की नवीन तकनीकों के उपयोग में कठिनाई होती है, फलतः ई- गवर्नेंस का लाभ उठाने में इन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार से इसके निर्वाचित सदस्यों को भी नवीन ई-गवर्नेंस समाधानों को आत्मसात करने में समस्या होती है। केंद्र सरकार द्वारा '**भारत नेट**' या '**नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना**' गाँव को तेज इन्टरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए प्रारम्भ किया गया है, परन्तु दूर दराज के इलाकों में इन्टरनेट की बैंडविथ पर्याप्त एवं स्थिर उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके कारण पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस योजना का सफल कार्यान्वयन बाधित होता है। इसके अलावा गांवों में बाधित विद्युत आपूर्ति, ग्राम पंचायत स्तर तक मांग के अनुसार व्यवहार्य और सुरक्षित क्लाउड ढांचा, राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र, राज्य आंकड़ा केंद्र के साथ एकीकरण की भी समस्या विद्यमान है।

<u>महिलाओं की भागीदारी से सम्बंधित मुद्दे</u>

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किए जाने के बावजूद स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी कम है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण समाज में पुरुषवादी मानसिकता का हावी होना है।

स्थानीय स्वशासन के किसी स्तर पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने पर अधिकांश मामलों में घर के पुरुष सदस्य की जगह महिला को उम्मीदवार बनाकर चुनाव में पुरुष सदस्य भाग लेता है। जीतने के बाद महिला निर्वाचित सदस्य नाम मात्र की अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, जबकि वास्तव में वह पुरुष सदस्य ही शक्तियों का उपयोग करता है। इसे आमतौर पर '**सरपंच पति प्रथा**' कहा जाता है।

देश के अधिकांश हिस्सों में ग्राम सभा की बैठकों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी होती है। यह असमानता महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से एक गलत संदेश देती है। आज महिलाओं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है।

यदि ग्राम सभा के स्तर पर इन समूहों की महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तो ग्राम सभा में आम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, आम महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रेरणा मिलेगी और यह महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सराहनीय कदम होगा। **<u>प्रशासनिक समस्या</u>**

लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन आमतौर पर लोगों और अधिकारियों (प्रखंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी आदि) के बीज उचित सहयोग और समन्वय का अभाव होता है। इस कारण अधिकारी विकासात्मक कर्तव्यों का अधिक कुशलता और ईमानदारी से निर्वहन करने में विफल होते हैं। इसके साथ ही निर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों के बीच भी समन्वय की कमी पाई जाती है।

पंचायती राज निकायों को कई प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे- स्थानीय प्रशासन के राजनीतिकरण की प्रवृत्ति, प्रशासनिक कर्मियों के लिए उचित प्रोत्साहन और पदोन्नति के अवसरों की कमी और सरकारी कर्मचारियों के विकास कार्यक्रमों के प्रति उदासीन रवैया आदि।

देश में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव तक नहीं है। बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि अर्ध साक्षर है और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कम जानते हैं।

<u>कार्यों का अवैज्ञानिक वितरण</u>

पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर कार्यों का वितरण वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया है। विकास और स्थानीय स्वशासन कार्यों के सम्मिश्रण में इन संस्थानों की स्वायत्तता को काफी कम कर दिया है। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को राज्यों द्वारा कार्यों और प्राधिकरणों के बहुत कम वास्तविक हस्तांतरण किए गए हैं। इसके कारण स्थानीय सरकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रहती हैं।

पंचायत और पंचायत समिति को सौंपे गए कार्य भी ओवरलैप करते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और जिम्मेदारी का स्थानांतरण होता है। इससे स्थानीय स्तर पर पक्षपातपूर्ण राजनीति भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां पैदा हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से स्थानीय निकायों को अधिक्रमित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना का उल्लंघन करती है।

<u>गैर-जवाबदेही</u> - ग्राम पंचायत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सृजन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाने के उचित प्रावधान नहीं किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कारवाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अभिसरण का भाव प्रमुख चिंता का विषय है। विभिन्न विभागों और योजनाओं के कारण ऊर्ध्वाधर एकीकरण भी सुनिश्चित नहीं होता है। इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों में नेतृत्व कौशल की कमी भी पाई जाती है।

पंचायती राज संस्थानों का प्रदर्शन राजनीतिक-सह-जातिगत गुटबाजी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, विकास परियोजनाओं को एक भ्रम या सपने में बदल रहा है। भ्रष्टाचार, सक्षम प्रक्रियाओं की उपेक्षा, दैनिक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, संकीर्ण निष्ठा प्रेरित कार्य, सच्ची सेवा मानसिकता के स्थान पर सत्ता का संकेंद्रण सभी पंचायती राज की सफलता में बाधक है।

<u>खराब निरीक्षण</u>- पंचायती राज संस्थानों से संबंधित उचित निगरानी व्यवस्था का अभाव है। गांवों में निरक्षरता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी की स्थिति में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। पंचायतों में निर्वाचित पदाधिकारियों के पास प्रशासनिक अनुभव की कमी होने पर कर्मचारियों पर निर्भरता अधिक होती है और इससे कर्मचारियों

द्वारा स्थिति का शोषण या निर्वाचित पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत हो सकती है।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,2005 (नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। वर्तमान में यह 'सामाजिक सुरक्षा रणनीति' के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गया है।

मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किलोमीटर के अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार का संकट बढ़ा है। कोरोना महामारी के साथ-साथ लाकडाउन की वजह से देश भर के श्रमिकों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है।

2020 में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान लाखों ग्रामीण गरीबों ने मनरेगा की ओर रुख किया क्योंकि यह बुनियादी आय सुरक्षा का एकमात्र स्रोत था। वित्तीय वर्ष-2020 में कुल 7.75 करोड़ परिवारों को इसके तहत काम दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मनरेगा बजट 60000 करोड रुपए से बढ़ाकर ₹1 लाख करोड़ कर दिया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गांव की साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना है। यह कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन काफी सफल रहा और भारत आधिकारिक रूप से खुले में शौच करने से मुक्त हो गया। इस मिशन के दूसरे चरण की घोषणा फरवरी 2020 में की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तरल और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लगभग ढाई लाख गांव में कूड़ा प्रबंधन शुरू हो चुका है। स्वच्छता मिशन के दूसरे चरण में लगभग ग्राम पंचायतों ने खुद को ओडीएफ प्लस की स्थित प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ओडीएफ प्लस का श्रेय उन्हीं गांव को प्राप्त हो सकता है, जो खुले में शौच मुक्त हो, जहां उचित कूड़ा प्रबंधन हो और शौचालय का शत प्रतिशत उपयोग किया जाता हो। यह योजना ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून, 2011 मे आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की शुरुआत की थी। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बढाना और उनके परिवार इकाई को जोड़ना है। आजीविका (एन०आर०एल०एम०) में स्वयं सहायता समूह तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांव के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का संकल्प किया है। ग्रामीण गरीब परिवारों को 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग दिया जाएगा। आजीविका (एन०आर०एल०एम०) इस बात में विश्वास रखता है कि गरीबों का सहयोग हो और देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, जिसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल संसाधन तथा सामूहिकीकरण से सक्षमताएं विकसित की जाए।

अंत्योदय अन्न योजना

इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थी 35 किलो राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल शामिल है, प्राप्त कर पाएंगे। लाभार्थी गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम और धान ₹3 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं, जिनकी आय का कोई स्थिर साधन नहीं है या फिर बहुत गरीब हैं। अब इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(NRHM)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी ।यह योजना अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आ गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (आशा) शुरू की गई है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है।

इसका प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। स्वास्थ्य प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण आबादी में बाल मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने, महिला स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य में सुधार, स्थानीय स्थानिक बीमारी के साथ संचरणीय एवं ग़ैर-संचरणीय बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं लैंगिक तथा जनसांख्यिकी संतुलन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने आदि का लक्ष्य रखता है।

यह पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षित कर उसकी क्षमता बढ़ाने, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का परिवार स्तर पर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पंचायत ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव के लिए स्वास्थ्य योजना के निर्माण को भी बढ़ावा देता है। आयुष्मान भारत योजना इसका घटक है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान को वर्ष 2000-2001 से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 50:50 है।

इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण के जरिए स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा की जाती है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, वंचित वर्गों के बच्चों और विकलांग बच्चों की सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करके तथा बाल केंद्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारंभिक शिक्षा को उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है।

ई-ग्राम स्वराज इंटरफ़ेस

यह इंटरफ़ेस 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और ईजीएस एकाउंटिंग मॉड्यूल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मिलाकर एक तंत्र बनाना है , ताकि

पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग के मद में ऑनलाइन भुगतान करने का इंटरफ़ेस उपलब्ध हो जाए। ग्राम पंचायतों की ओर से वेंडर्स सेवा प्रदाताओं को वास्तविक भुगतान करने के लिए उपलब्ध यह अपनी तरह का एकमात्र ई-जीएसपीआई इंटरफ़ेस है। इस प्रणाली में नियंत्रक और महालेखाकार के कार्यालय द्वारा निर्धारित मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। इससे पंचायती राज संस्थानों की साख बढ़ती है और संस्थान अधिक मजबूत बनते हैं।

पिछले वित्त वर्ष में 21 राज्यों की एक लाख 80 हजार से ज्यादा पंचायतों को ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत शामिल किया गया और 1,53000 से ज्यादा पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था अपनाई।

स्वामित्व योजना

भूमि रिकॉर्ड की कमी और गांव में आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण का भाव देखते हुए भारत के 6.62 लाख गांव में आधुनिकतम रूम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण परिवार के मालिकों को संपत्ति कार्ड के रूप में अधिकार के रिकॉर्ड प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण स्वामित्व (सर्वे आफ विलेज आबादी एंड मैपिंग लिस्ट इन फूड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया योजना) का जन्म हुआ। योजना का लक्ष्य गांव में ग्रामीण आबादी में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इससे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद मिलेगी।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण विकास की दिशा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आदि संचालित की जा रही हैं।

निष्कर्ष

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार स्थानीय स्वशासन निकाय अपने स्तर पर एक सरकार है। इन्हें प्रदान किए गए कार्यों के संदर्भ में स्थानीय शासन संस्थाओं को स्वायत्त बनाया जाना चाहिए। इससे इन्हें राज्य सरकार की नौकरशाही के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को स्थानीय शासन के विभिन्न स्तरों के लिए कार्यों का स्पष्ट निरूपण तथा विभाजन करना चाहिए ।पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों और सुपुर्द संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों में पारदर्शिता व इसकी जवाबदेही हेतु लोकपाल (लोकल बॉडी ओम्बड्समैन) का गठन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व आधार को विस्तृत और सुदृढ करने की आवश्यकता है। इसके लिए कराधान की संभाव्यता, यथार्थ कर दरों का निर्धारण, कर आधार को बढ़ाना, तथा कर संग्रहण में सुधार लाना होगा। ग्राम पंचायतों में निहित संपत्ति की सभी आय संपदाओं को अभिज्ञात और सूचीबद्ध करना होगा। इसे विकसित कर राजस्व प्राप्ति के लिए उत्पादक बनाया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहित खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का पर्याप्त हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को अधिक नागरिक केंद्रित बनाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली एवं उत्तरदायी बनाने हेतु संसद द्वारा कानून का निर्माण या दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जा सकता है।

ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में विचार-विमर्श होना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने योग्य विषयों के अंतर्गत पंचायत का बजट, पंचायतों के कार्यों का विवरण, योजनाओं की प्रगति, ऋण एवं अनुदानों का उपयोग, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए।

ग्रामीण विकास के बिना देश का संपूर्ण रूप से विकास अधूरा है। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता है कि राज्य सरकारों द्वारा संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए ताकि यह गांधीजी के आदर्शों के अनुरूप लोगों के कल्याण में अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा सके।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

1. बसु, डी०डी०, भारत का संविधान, 24वां प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. माहेश्वरी, एस०आर०, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, द मैकमिलन कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, 1971।
3. योजना पत्रिका, 'पंचायती राज व्यवस्था', नवम्बर, 2021।
4. महिपाल, "पंचायतीराज: अतीत वर्तमान और भविष्य", सारांश पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. मेहता, जीवन, राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन प्रकाशन 2007, पृष्ठ सं०202-212
6. माथुर, कुलदीप, पंचायती राज, ऑक्सफ़ोर्ड शार्ट इंट्रोडक्शन सीरीज, 2013।
7. धर्मराज, एस०, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, अभिजीत प्रकाशन, आईएसबीएन-9788189886783
8. अग्रवाल, कुमार, प्रमोद, भारत में पंचायती राज, प्रभात प्रकाशन, 2019, नई दिल्ली।
9. असलम, एम०, पंचायती राज इन इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2010, नई दिल्ली।
10. चौधरी, अनिल, दीपिका, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया : इश्यूज एंड चैलेंजेज, एबीडी प्रकाशन, 2019।
11. मैडिक, हेनरी, पंचायती राज: ए स्टडी ऑफ़ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, रावत प्रकाशन, 2018।
12. व्यासुलू, विनोद, पंचायत्स, डेमोक्रेसी, एंड डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन, 2003, जयपुर।
13. सिंह, एम०के०, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया : इश्यूज एंड चैलेंजेज, सेंट्रम प्रेस, 2014।
14. भारत, 2021, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संदर्भित वेबसाइट्स

* pib.gov.in
* panchayat.gov.in
* panchayatiraj.up.nic.in
* sec.up.nic.in

संदर्भित समाचार-पत्र

० दैनिक जागरण
० दैनिक भास्कर
० द हिन्दू
० इंडियन एक्सप्रेस